



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240972  
CG-DL-E-10122022-240972

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]  
No. 636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 18, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

**फा. सं. सम्मेलन.5(7)2012/गुज./14737.**— कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना” के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसरण में, तथा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. सम्मेलन.5(7)2012/गुज./14116 दिनांक 16.11.2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के खंड - III भाग 4 में 04.12.2017 को प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.), एतद्वारा गुजरात राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, यथा :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं पदनाम	के रूप में नियुक्ति [योजना के संबंधित पैरा के अंतर्गत]
1.	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, गुजरात राज्य ।	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4 (1) (ए) के अंतर्गत]
2.	श्रम आयुक्त,	राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित सदस्य

	गुजरात राज्य ।	[अनुच्छेद 4 (1) (बी) के अंतर्गत]
3.	उप सचिव (वस्त्र), उद्योग एवं खान विभाग, सचिवालय, गांधीनगर ।	
4.	श्री कमल विजय तुलसियां, टेक्सटाइल पांडेसरा स.स.लि. प्लॉट नंबर 195, दूसरी मंजिल, विनटेक्स मिल के सामने, जी.आई.डी.सी, पांडेसरा, सूरत। फोन नंबर 0261-2890129	
5.	श्री हरीशभाई आर. रावल, 206, सरदार पटेल चेम्बर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, अहमदाबाद। मो. 9426085330	नियोक्ता के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1) (सी) के अंतर्गत]
6.	श्री वलजीभाई एम. चावड़ा, पंचशील सोसायटी, गली नं. 3/11, यदुवंशी, गोंडल रोड, जामनगर।	
7.	श्री निर्मलसिंह ए. अक्कड़, 51/बी/795, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, सैजपुर, कृष्णानगर, अहमदाबाद। मो.9825446723	कर्मचारियों के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1) (डी) के अंतर्गत]
8.	केंद्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य, सामान्यतः राज्य के निवासी	केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के गैर-सरकारी सदस्य [अनुच्छेद 4 (1) (ई) के अंतर्गत]

2. गुजरात राज्य के प्रभारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति, गुजरात राज्य के सचिव होंगे ।

3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा । हालांकि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती ।

4. यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

नीलम शमी राव, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./456/2022-23]

**EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION****(Head Office)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2022

**F. No. Conf.5(7)2012/GJ/14737.** —In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf.5(7)2012/GJ/14116 dated 16.11.2017 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, on 04.12.2017, the Chairman, Central Board of Trustees, (EPF) hereby constitutes the Regional Committee for the State of Gujarat consisting of the following persons, namely:-

<b>S. No.</b>	<b>Name and Designation of the Member</b>	<b>Appointment as [under relevant Para of Scheme]</b>
1.	Principal Secretary, Labour and Employment Department, Gujarat State.	<b>Chairman</b> [Under Para 4(1)(a)]
2.	Commissioner of Labour, Gujarat State.	<b>Members recommended by the State Government</b> [Under Para 4(1)(b)]
3.	Deputy Secretary (Textile), Industries & Mines Department, Sachivalaya, Gandhinagar.	
4.	Shri Kamal Vijay Tulsiyan, Textile Pandesara Co.So.Ltd. Plot No.195, 2 <sup>nd</sup> Floor, Opp. Vintex Mill, G.I.D.C, Pandesara, Surat. Ph. No. 0261-2890129.	<b>Employers' representatives</b> [Under Para 4(1)(c)]
5.	Shri Harishbhai R. Raval, 206, Sardar Patel Chambers, Opp. Bank of Maharashtra, Ahmedabad. Mo. 9426085330.	
6.	Shri Valjibhai M. Chavda, Panchsheel Society, Street No. 3/11, Yaduvanshi, Gondal Road, Jamnagar.	<b>Employees' representatives</b> [Under Para 4(1)(d)]
7.	Shri Nirmalsinh A. Akkad, 51/B/795, Gujarat Housing Board, Saijpur, Krishnanagar, Ahmedabad. Mo.9825446723	
8.	The non-official members of the Central Board ordinarily resident in the State.	<b>Non-Official Members of CBT (EPF)</b> [Under Para 4(1)(e)]

2. The Additional Central Provident Fund Commissioner in-charge of the State of Gujarat shall be the Secretary of the Regional Committee for the State of Gujarat.

3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

4. This will come into force with immediate effect.

NEELAM SHAMI RAO, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./456/2022-23]